

कार्यालय :- प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड (मोप्र) ::

// वाहन नीलाम विज्ञप्ति //

क्रमांक- ३४८/नजारत/2022

भिण्ड दिनांक- २५.८.२२

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय- प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय भिण्ड के अनुपयोगी शासकीय वाहन क्रमांक- MP 02 AV-1883 (Tata INDIGO) (पेट्रोल) वाहन जहां हैं जैसी स्थिति में है को निष्प्रयोजित राशि 90,000/- रुपये मात्र में दिनांक- 26.09.2022 को प्रातः 11.00 बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है। उक्त नीलामी में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय भिण्ड के नाम से देय राशि 5,000/- रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर भाग लिया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार वाहन की खुली निविदा के माध्यम से नीलामी हेतु निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

// निविदा की शर्तें //

1. शासकीय वाहन क्रमांक- MP 02 AV-1883 (Tata INDIGO) (पेट्रोल) की न्यूनतम ऑफरेट मूल्ये रुपये 90,000/- रुपये (शासकीय बोली) नियत है।
2. उक्त अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहन की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय भिण्ड के नाम से देय, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।
3. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी/स्वीकृत की गयी राशि जमा करने के पश्चात लौटाया जावेगा।
4. किसी भी बोली को बिना कारण बताये पूर्ण रूप से स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने/आंशिक रूप से स्वीकार करने/निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को होगा।
5. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।
6. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात अनुपयोगी शासकीय वाहन केता को प्रदान किया जावेगा।
7. अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के पश्चात 07 दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट जो प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड के नाम देय हो, जमा करवाकर वाहन को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।

संबंधित वाहन भौतिक निरीक्षण हेतु प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय परिसर मिण्ड में उपलब्ध है इस हेतु नायब नाजिर से कार्यालयीन दिनांक/समय में संपर्क किया जा सकता है।

9. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहन को क्य करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी संबंधी संपूर्ण शर्त स्वीकार कर ली गयी है ऐसा माना जावेगा।

10. अनुपयोगी शासकीय वाहन विक्रय के पश्चात कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं केता के नाम पंजीयन एवं बीमा कराये जाने की संपूर्ण जबावदारी केता की ही होगी।

11. वाहन कमांक, चेचिस नम्बर, इंजन नम्बर, का मिलान निविदाकार को नीलामी के स्थान पर ही करना होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति क्य संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी।

25/2  
प्रधान न्यायाधीश,  
कुटुम्ब न्यायालय,  
मिण्ड (म0प्र0)